मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ई-13/12/9/2015-जन संपर्क

दिनांक : 16.07.2015

प्रेस प्रकाशनी

सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में 24 x 7 चिकित्सा हेल्पलाइन नं. 1800 11 3839 का आरंभ

क.रा.बी. निगम 24 x 7 हेल्पलाइन नं. 1800 11 3839 आरंभ करने जा रहा है। यह हेल्पलाइन उन बीमाकृत व्यक्तियों और उनके पारिवारिक सदस्यों की कॉल सुनेगी, जो क.रा.बी. निगम अस्पतालों के हताहत/आपात विभाग से परामर्श तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छुक हों। यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति क.रा.बी. निगम मुख्यालय की 24 x 7 हेल्पलाइन पर कॉल करता है तथा आपात स्थिति में चिकित्सक से कुछ चिकित्सा परामर्श लेना चाहता है तो कॉन्फ्रेंस द्वारा वह कॉल 24 x 7 हेल्पलाइन नं. से संबंधित राज्य के क.रा.बी. निगम अस्पताल के आपात विभाग से जोड़ दी जाएगी तथा हताहत/आपात विभाग में उपलब्ध चिकित्सक आवश्यक कार्रवाई हेतु वह कॉल सुनेगा।

क.रा.बी. निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को अनुदेश दिया गया है कि वे हताहत/आपात विभाग में तैनात चिकित्सकों को यह अवगत कराएं कि कॉन्फ्रेंस द्वारा 24 x 7 हेल्पलाइन नं. से प्राप्त उक्त कॉल को वे प्राथमिकता के आधार पर सुनें तथा जरूरतमंद बीमाकृत व्यक्ति को अधिकतम संभव सहयोग प्रदान करें।

क.रा.बी. निगम के मुख्य पणधारक बीमाकृत व्यक्ति, इनके परिवार तथा नियोक्ता हैं। योजना को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने तथा पणधारियों और लाभार्थियों को अत्यावश्यक एवं स्पष्ट सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ऐसी हेल्पलाइन उपयोगी होगी। क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिया गया है कि लोक शिकायतों/प्रश्नों पर तुरंत कार्रवाई करें। लाभार्थियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/क.रा.बी. अस्पताल तथा आदर्श अस्पतालों में सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

क.रा.बी. निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे पूर्ण चिकित्सा देखरेख तथा आवश्यकता जैसे कि रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि के समय नकद हितलाभ प्रदान करता है। क.रा.बी. अधिनियम उन परिसरों/अहातों पर लागू है जहां 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत ₹15,000/- प्रतिमाह तक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य हितलाभों के हकदार हैं।

*****